

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 28th July, 2010.

Notification
(INCOME-TAX)

S.O. Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)(hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes) number S.O. 51(E), dated the 8th January, 2008;

And whereas M/s. DLF Cyber City Developers Limited, having its registered address at Shopping Mall Complex, Arjun Marg, DLF City Phase I, Gurgaon, Haryana-122002, has developed an Industrial Park at Building No. 7A, 7B, 8 , 9A, 9B, 10 and Infinity Towers (Block 3/Tower C) in Sector 24, 25, 25A DLF City, Gurgaon, Haryana;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the said Act read with rule 18 C of the Income Tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies M/s. DLF Cyber City Developers Limited as an undertaking and the project at Building No. 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 10 and Infinity Towers (Block 3/Tower C) in Sector 24, 25, 25A DLF City, Gurgaon, Haryana, being developed and being maintained and operated by the said undertaking, as an industrial park for the purposes of the said clause.

2. The date of commencement of the aforesaid industrial park is 25th January, 2010.

3. The notification will be invalid and M/s DLF Cyber City Developers Limited, Gurgaon, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if -

- (i) the application and subsequent documents furnished by it, on the basis of which the notification is issued by the Central Government contains wrong information or misinformation or some material information has not been provided in it;
- (ii) It is for the location of the industrial park for which notification has already been issued in the name of another undertaking.

4. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No. 66/2010 F.No. 178/81/2008-ITA-I]



(PADAM SINGH)

Under Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
(आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक २४ जुलाई, 2010

का.आ. जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 51 (अ), दिनांक 8 जनवरी, 2008 के जरिए औद्योगिक पार्क के लिए स्कीम तैयार और अधिसूचित की है;

और जबकि मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, जिनका पंजीकृत पता शॉपिंग मॉल काम्प्लेक्स, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ, फेस-1, गुडगांव, हरियाणा-122002 है, में डीएलएफ सिटी, गुडगांव, हरियाणा के सेक्टर-24,25,25ए में बिल्डिंग संख्या 7, 7ए, 7बी, 8, 9ए,9बी, 10 तथा इनफिनिटी टावर, (ब्लाक-3/टावर-सी) में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया है;

अतः अब आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18ग के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड को एक उपक्रम के रूप में तथा डीएलएफ सिटी, गुडगांव, हरियाणा के सेक्टर-24,25,25ए में बिल्डिंग संख्या 7, 7ए, 7बी, 8, 9ए,9बी, 10 तथा इनफिनिटी टावर, (ब्लाक-3/टावर-सी) में उक्त उपक्रम द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित तथा प्रचालित की जा रही परियोजना को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

2. उपर्युक्त औद्योगिक पार्क के शुरू होने की तिथि 25 जनवरी, 2010 है ।

3. अधिसूचना अमान्य होगी और मेसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, गुडगांव इस अमान्यता के किसी परिणाम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा, यदि

- (i) इसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन और परवर्ती दस्तावेजों जिनके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, में गलत सूचना/ झूठी सूचना हो अथवा कोई महत्वपूर्ण सूचना प्रदान न की गई हो।
- (ii) यह ऐसे औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए हो जिसके लिए अधिसूचना पहले ही अन्य उपक्रम के नाम जारी की जा चुकी हो।

4. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना की योजना में किसी संशोधन से अथवा भविष्य में अधिक ज्ञान होने अथवा आवेदक द्वारा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर न किए जाने से औद्योगिक पार्क का अनुमोदन अमान्य हो जाएगा।

[अधिसूचना सं. 66/2010 फा.सं. 178/ 81/ 2008- आ.का.नि.-I]

पदम सिंह

(पदम सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के निकट), नई दिल्ली